न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/एलआर/6126/2003/कोटा

1. राजकंवर पत्नि भवानीसिंह
2. दिग्विजयसिंह पुत्र भवानीसिंह

–समस्त जाति राजपूत निवासीगण सुल्तान फार्म, पदमपुरमण्डी, तहसील पदमपुर जिला श्रींगंगानगर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार।

.....प्रत्यर्थी

2. सूर्यविजयसिंह पुत्र भवानीसिंह
3. अम्बिका प्रतापसिंह पुत्र भवानी सिंह
4. रूकमणी पुत्री भवानीसिंह

–समस्त जाति राजपूत निवासीगण सुल्तान फार्म, पदमपुरमण्डी, तहसील पदमपुर जिला श्रींगंगानगर

.....तरतीबी प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार

निर्णय

दिनांकः– 14–11–2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अंतर्गत राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–11–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का विक्रय एवं आवंटन) नियम 1957 के तहत अपीलार्थी संख्या 1 के पति एवं अपीलार्थी संख्या 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के पिता भवानीसिंह को ग्राम

सकतपुरा तहसील लाडपुरा स्थित विवादित आराजी खसरासंख्या 273/860 व 273/861 कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि का कीमतन नीलामी में दिनांक 4–10–1961 के आदेश द्वारा आवंटन किया गया। नीलामी की शर्तो की अक्षरश पालना नहीं करने के कारण उक्त नीलामी में किए गए आवंटन को जिलाधीश (उपनिवेशन) कोटा ने अपने आदेश दिनांक 12–7–1985 द्वारा निरस्त कर जमाशुदा रकम राज जब्त किए जाने की आज्ञा पारित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष मियाद से बाधित प्रथम अपील मय भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 03–11–2003 द्वारा परिसीमा व गुणावगुण दोनों बिन्दुओं पर सारहीन होना प्रकट करते हुए खारिज कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि जिला कलक्टर कोटा को भू राजस्व अधिनियम या आवंटन नियमों के तहत जरिये नीलामी कीमतन भूमि का अपीलान्टस के पक्ष में किए गए आवंटन तथा नीलामी को कन्फर्म करने तथा राशि जमा कराये जाने के बावजूद निरस्त करने की अधिकारिता नहीं है। उनका कहना है कि मामले में जिला कलक्टर कोटा की कार्यवाही में आवंटी को बिना नोटिस दिए तथा उसका पक्ष सुने बिना एकतरफा में कार्यवाही की गई है। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत है। अपीलीय न्यायालय को इसी आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित करना चाहिए था। आगे बताया कि मामले में यदि जिला कलक्टर व्यथित थे तो उन्हें नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी जानी चाहिए थी। उनका आगे यह भी कहना है कि आवंटन के पश्चात

23 वर्ष की एक लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात जिला कलक्टर को आवंटन निरस्त करने का अधिकार नहीं है। आगे बताया कि जिला कलक्टर ने मामले में मियाद के बिन्दु को अनिर्णित रखा है। उनका तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण में नियम 21 (3) का उल्लेख किया है परन्तु आवंटन नियम 1957 पर विवेचन नहीं किया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने उनकी अपील को मियाद के बिन्दु पर अनिर्णित रखते हुए गुणावगुण पर निर्णित की है, जबकि विधिक सरंचना के अनुसार न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को निर्धारित करना चाहिए था। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर उपनिवेशन कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–7–1985 तथा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–11–2003 को निरस्त करने का निवेदन किया।

5. उपराजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत अपील का विरोध करते हुए आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है तथा कहा कि अपीलार्थी ने सारहीन तथ्यों का समावेश करते हुए हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, जो कि चलने योग्य नहीं है। उनका कहना है कि मामले में आवंटी ने शर्तो की पालना नहीं करते हुए विवादित रकबे को पडत रखी है जबकि नियमों के अनुसार नीलामी में आवंटित किए गए रकबे पर शर्तो के अनुसार व्यक्तिगत रूप से काश्त करनी चाहिए। अन्त में उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया है।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का विक्रय एवं आवंटन) नियम 1957 के तहत अपीलार्थी संख्या 1 के पति एवं

अपीलार्थी संख्या 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के पिता भवानीसिंह को ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा स्थित विवादित आराजी खसरासंख्या 273/860 व 273/861 कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि का कीमतन नीलामी में दिनांक 4–10–1961 के आदेश द्वारा आवंटन किया गया। नीलामी की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण उक्त नीलामी में किए गए आवंटन को जिला कलक्टर उपनिवेशन कोटा ने अपने आदेश दिनांक 12–7–1985 द्वारा निरस्त कर जमाशुदा रकम राज जप्त किए जाने की आज्ञा पारित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष मियाद से बाधित प्रथम अपील मय भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 03–11–2003 द्वारा परिसीमा व गुणावगुण दोनों बिन्दुओं पर सारहीन होना प्रकट करते हुए खारिज कर दी। अपीलार्थीगण ने आक्षेप उठाया है कि जिला कलक्टर कोटा ने मामले में आवंटन के 23 वर्ष के पश्चात आवंटन को निरस्त किया है तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करते हुए मियाद के बिन्दु पर विवेचन नहीं किया है। विधिक स्थिति यह है कि यदि किसी प्रकरण में गुणावगुण का बिन्दु ठोस व सशक्त हो तो ऐसे प्रकरणों में मियाद के बिन्दु पर विवेचन नहीं करना न्यायालय का स्वविवेकाधिकार है।

8. अपीलार्थीगण का दूसरा आक्षेप है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ मियाद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में मियाद के बिन्दु को अनिर्णित रखा है। हमारे द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के साथ प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया है तथा हम पाते है कि अपीलार्थीगण ने अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब के बारे में कोई ठोस व संतोषजनक कारण अंकित नहीं किए है। अतः इस बाबत अपीलार्थीगण द्वारा लिया आक्षेप निराधार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अपीलीय न्यायालय ने मामले में गुणावगुण के बिन्दु को सशक्त पाते हुए विवेचन किया कि आवंटी ने नीलामी की शर्तो की

पालना नहीं करते हुए विवादित आराजी सम्वत 2021 से 2035 तक पडत रही है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने शर्तो का उल्लंघन पाते हुए अपील को सारहीन होना प्रकट किया है। विधायिका की भावना के अनुसार आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में ऐसे आवंटन को कभी भी निरस्त किए जाने का प्रावधान है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी की अपील को अपीलीय न्यायालय ने मियाद व गुणावगुण दोनों बिन्दु पर सारहीन होना पाया है। जिसमें हम किसी विधि या नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाते है। अतः हमारी विनम्र राय में प्रस्तुत अपील में कोई सारवान व विधिक बिन्दु उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे अपास्त किया जाना समीचीन है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–11–2003 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य